पत्र संख्या–वि0व0संग्रह/ब्याज माफी योजना–2021/2020–2021/2021049/ 886 /वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊः दिनांकः **03 मार्च, 2021**

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः–उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम–1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम–1956, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम–2008, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम–2007 एवं उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम–1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर) तथा उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली–1997 के अंतर्गत दिनांक 31.12.2020 तक सृजित बकाये के ब्याज एवं अर्थदण्ड को माफ किये जाने हेतु ब्याज माफी योजना–2021 लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– **238/11–2–2021–9(21)/2003, दिनांक 03 मार्च, 2021** की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप उक्त शासनादेश के सफल कियान्वयन हेतु अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित मार्गदर्शन देते हुए व्यापारी वर्ग, व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों तथा अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों को ब्याज माफी योजना–2021 के शासनादेश की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ–साथ मुख्य स्थानों जैसे स्वयं के कार्यालय, जिलाधिकारी, आयकर विभाग, मण्डी परिषद, रेलवे, मुख्य बाजारों एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय आदि के सामने योजना के प्रचार–प्रसार हेतु सूचना/होर्डिंग लगाने की व्यवस्था करें। समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रानिक माध्यमों से अधिकाधिक प्रचार–प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित करायें। व्यापारियों को योजना के अन्तर्गत सहभागिता हेतु प्रेरित करने का भी कार्य किया जाना है।

योजना के अनुरूप बकायेदारों को यथासम्भव लाभ मिल सके, के लिए आवश्यक है कि अभिलेखों/बकाये का परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर कर लिया जाए तथा समस्त बकायेदार व्यापारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क/समन्वय आवश्यक रुप से स्थापित किया जाये एवं योजना में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाये, जिससे शासन की अपेक्षानुसार योजना को सफल किया जा सके।

यह सम्पूर्ण योजना ऑनलाइन व्यवहरित होनी है, जिसकी व्यवस्था विभागीय पोर्टल पर की गयी है। अतः विभागीय पोर्टल के माध्यम से ही अनुश्रवण किया जाएगा। छोटे व्यापारियों के लिए प्रत्येक लोकेशन पर **"हेल्प डेस्क"** की स्थापना इस आशय से की जायेगी कि जरुरतमंद छोटे व्यापारियों को कोई असुविधा न हो।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जमा धनराशि व माफ किये गये ब्याज आदि का निरन्तर अनुश्रवण अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें, जिससे समय–समय पर योजना की प्रगति से शासन को अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0 पत्र संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, राज्य कर, अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/कारपोरेट/मुख्यालय), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर के माध्यम से।
5. ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन हेतु।

ज्वाइंट कमिश्नर (संग्रह), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

संख्या– 238/11–2–2021–9(21)/2003

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0 प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग–2 लखनऊः दिनॉक 03 मार्च, 2021

विषयः–उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम–1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम–1956, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम–2008, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम–2007 एवं उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम–1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर) तथा उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली–1997 के अंतर्गत दिनांक 31.12.2020 तक सृजित बकाये के ब्याज एवं अर्थदण्ड को माफ किये जाने हेतु ब्याज माफी योजना–2021 लागू किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–वि0व0संग्रह/2020–21/816/वाणिज्य कर, दिनांक 25.02.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 31.12.2020 तक निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर लम्बित ब्याज एवं अर्थदण्ड को माफ किये जाने हेतु ब्याज माफी योजना–2021 लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) दिनांक 31.12.2020 तक सृजित मांग के बकाये के अवशेष मामलों में बकाया कर की मूल धनराशि में उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम–1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम–1956, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम–2008 (VAT), उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम–2007 एवं उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम–1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर) तथा उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली–1997 के अन्तर्गत बकाया सम्मिलित मानी जायेगी।

(ii) ब्याज माफी योजना–2021 शासनादेश जारी होने की तिथि से कुल 03 माह तक प्रचलित रहेगी।

(iii) योजना उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश से सृजित मांग के लिए पृथक–पृथक मानी जायेगी। योजना लागू होने के पूर्व में जमा कर/बकाया/ब्याज/अर्थदण्ड इस योजना के अंतर्गत वापसी/समायोजित नहीं होगी तथा योजना के फलस्वरुप जमा कर/बकाया/ब्याज/अर्थदण्ड भी वापसी/समायोजन योग्य नहीं होगा।

(iv) यहां अर्थदण्ड का तात्पर्य केवल बकाया जमा न करने के कारण लगाये गये अर्थदण्ड से है। अन्य प्रकार के अर्थदण्ड की माफी का लाभ इस योजना के अंतर्गत अनुमन्य नहीं है।

(v) यह योजना समस्त प्रकार की 'मांग', चाहे वह स्वीकृत कर या आरोपित कर के संबंध में बकाया हो अथवा विभिन्न न्यायालयों से तय (Decided) अथवा लम्बित विवादों के सम्बन्ध में हो, ब्याज एवं अर्थदण्ड के लिए लागू है।

(vi) विभिन्न माननीय न्यायालयों में लम्बित मामलों के संदर्भ में व्यापारी माननीय न्यायालयों में दाखिल वाद Not Press का प्रमाण प्रस्तुत करके अथवा वाद को वापस लेने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करके इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

(vii) योजना में बकाया एवं ब्याज की धनराशि में जमा तथा माफी निम्न प्रकार की जाएगी–

मूल बकाया धनराशि	मूल बकाया की जमा की जाने वाली धनराशि	ब्याज की जमा की जाने वाली धनराशि	ब्याज की माफ की जाने वाली धनराशि	केवल बकाया न जमा करने पर आरोपित अर्थदण्ड की माफ की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
रु0 10 लाख तक	सम्पूर्ण	शून्य	100%	100%
रु0 10 लाख से अधिक रु0 1 करोड़ तक	सम्पूर्ण	10%	90%	100%
रु0 1 करोड़ से अधिक रु0 5 करोड़ तक	सम्पूर्ण	50%	50%	100%
रु0 5 करोड़ से अधिक	सम्पूर्ण	90%	10%	100%

(viii) योजना के अंतर्गत दी गयी छूट की धनराशि विभागीय खाते में सही आगणन एवं योजना की शर्तों के अनुसार जमा होने की तिथि से ही मानी जायेगी अर्थात योजनानुसार दी गयी अंतिम तिथियों को विभागीय खाते में सही गणनानुसार जमा किया जाना आवश्यक होगा, तभी योजना का लाभ प्राप्त होगा।

(ix) योजना के अंतर्गत ब्याज की गणना विभिन्न अधिनियमों/नियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार व्यापारी की योजना का चुनाव (Opt) करके योजना के अंतर्गत धनराशि जमा करने की तिथि तक की जायेगी।

(x) ब्याज माफी योजना–2021 के लिए आवेदन एवं निस्तारण केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से किये जायेंगे एवं प्रत्येक विभागीय लोकेशन पर बकायेदार व्यापारियों के लिए **'हेल्प डेस्क'** की स्थापना की जायेगी।

(xi) पोर्टल पर बकायेदार व्यापारियों के आवेदन प्राप्त होने के पश्चात संबंधित अधिकारी (ज्वाइंट कमिश्नर कार्पोरेट/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी) बकाया तथा ब्याज की गणना एवं सत्यापन करेंगे। किसी प्रकार की गणनात्मक अथवा अन्य प्रकार की त्रुटि होने पर पोर्टल पर ही ऑनलाइन बकायेदार को अधिकतम 03 कार्य दिवसों के अंतर्गत अवगत करायेंगे। बकायेदार सही गणनानुसार/त्रुटि निराकरण के पश्चात् धनराशि जमा करेगें। संबंधित अधिकारी आवेदन की स्वीकृति/स्वीकरण प्रदान करेंगे। ब्याज माफी योजना–2021 के अंतर्गत अंतिम तिथि तक प्राप्त त्रुटिपूर्ण आवेदनों एवं धनराशि के निराकरण एवं जमा करने हेतु 05 अतिरिक्त कार्य दिवस प्रदान किये जायेंगें।

(xii) संबंधित अधिकारियों द्वारा योजना के अनुसार समस्त बकाया एवं ब्याज जमा करने के पश्चात 30 दिनों के अंदर व्यापारी को प्रत्येक आदेश के विरुद्ध जमा के लिए नोड्यूज प्रमाण पत्र पोर्टल पर उपलब्ध विहित प्रारुप में जारी करेंगें।

(xiii) इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने स्तर से जिले के जिलाधिकारियों/अधिवक्ता संघों के साथ–साथ व्यापारी वर्ग व व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हुए समुचित प्रचार–प्रसार कराया जायेगा ताकि योजना लोकप्रिय हो सके और अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति हो सके।

3. कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 238 (1)/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0।
7. निदेशक राजस्व व विशिष्ट अधिसूचना, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ओम प्रकाश तिवारी)
संयुक्त सचिव।

anuj g.o.